

1.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अविनाश चन्द्र थाना रा0ज0भू0, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. नारायण पुत्र स्व0 मिठाईलाल पाण्डेय 2. अमरीश पाण्डेय पुत्र बजरंग पाण्डेय निवासीगण चक्रतीर्थ थाना रा0ज0भू0, अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से 10- 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 42/19 व 43/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 28.04.19 को वादी श्री संतराम पुत्र दरगाही निवासी नयाबारा लालपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामू पुत्र भगवानदीन निवासी नयाबारा लालपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या आदि 02 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा गाली देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 137/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामतेज पुत्र स्व0 हरीराम निवासी जमपुरवा जमुनीपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 138/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री सुधांशू रंजन थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि तौहीद आलम अंसारी पुत्र वहीदुल हसन निवासी कटरा थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 222 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 139/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम अवतार पुत्र राम सेवक निवासी अमसिन बाजार थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 140/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अमर चौरसिया थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि किशोरीलाल पुत्र छिम्मीलाल निवासी शेखपुर जाफर थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 186/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री रामदेव गुप्ता थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद कुमार तिवारी पुत्र रामजी निवासी दक्षिण पारा थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 187/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राम नरेश वर्मा थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गंगाराम पुत्र स्व0 राम लाल निवासी गुलालपुर महोली थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 188/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

9.दिनांक 28.04.19 को वादी श्री विजय मौर्य पुत्र राम प्रकाश मौर्य निवासी बाला पैतौली थाना अहिरौली, अम्बेडकरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई संजय की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे संजय की मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 256/19 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

10.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुभाष पुत्र जयराम निवासी कनावॉ थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 258/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

11.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामजी पुत्र राम गोपाल निवासी कोदैला थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 259/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

12.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम अशीष पुत्र जग्गू निवासी तोरोमाफी थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 260/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

13.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री थीरेन्द्र आजाद थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामबली पुत्र राम सुमेर निवासी मलेथू कनक थाना को0बीकापुर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 261/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

14.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री शिवानन्द यादव थाना तारून, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बिन्दे पुत्र लक्ष्मण निवासी मठिया थाना तारून, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 100 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना तारून में मु0अ0सं0 95/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

15.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बलराम यादव पुत्र राम सजीवन निवासी बलुहन का पुरवा मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 203/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

16.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री गजेन्द्र राम खरवार थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दुर्गेश सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह निवासी गोठवारा थाना इनायतनगर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 204/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

17.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री कन्हैया कुमार यादव थाना मवई, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जियालाल पुत्र सुखीराम निवासी मवई थाना मवई, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 113/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

18.दिनांक 28.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह थाना मवई, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरनाथ पुत्र बंतीलाल निवासी अहिरन पुरवा मजरे बहरास थाना को0रूदौली, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु0अ0सं0 115/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।